प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के षष्ठम सत्र के इस विशेष उपवेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

इस संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल की निर्णायक भूमिका होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप–मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधान सभा के आप सभी सदस्यों की मान–मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ। नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी।

परन्तु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया।

मान्नीय सदस्यगण, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील हैं। डॉ० राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय यह कोट किया गया था कि –

"लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राजव्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात प्रयत्न दिखलायी दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है।" और हमेशा यह ध्यान में रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार तथा भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर करता है, जिसका परिणाम हम, आप सभी देखे हैं, गवाह हैं।

हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 09 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना – लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, यह जनता के ऊपर छोड़ते हैं या लोकतंत्र का तकाजा है।

नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 09 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गयी क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता।

माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वह अस्पष्ट है। नौ माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय

सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया है, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें यह वर्णित है कि आप विश्वासमत खो चुके हैं, यह मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है – मनमानी करने का, अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ।

माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से मेरे कार्यकाल में सदन में शत–प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर का आना, कुछेक दिन छोड़कर लगभग शत–प्रतिशत सदन का चलना, पक्ष और प्रतिपक्ष में भेद नहीं करना, दोनों पक्षों से सदन चलाने में सकारात्मक सहयोग मिलना। मैं आभारी हूँ कि दोनों पक्ष के सदस्यों ने मुझे सहयोग किया है। माननीय सदस्यों को पूरक प्रश्नों का अवसर ज्यादा से ज्यादा देना। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी थे, इनके एक प्रश्न पर 16 पूरक हुआ था। हमको लगता है कि इस विधान सभा की भी एक नई खूबसूरती थी। शून्यकाल की संख्या बढ़ाकर लेना, सदन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, सदन की कार्यवाहियों को यू–ट्यूब से लाइव करना, उसे सुदूर गांवों तक पहुंचाना, माननीय सदस्यों तथा उनके पी०ए० को डिजिटल वातावरण से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना, माननीय सदस्यों के मान–सम्मान के लिए अभ्यावेदन एवं प्रोटोकॉल समिति का गठन करना, विभागों के द्वारा गलत उत्तर आने पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेना, क्या ये तानाशाही प्रवृत्ति है? क्या यह अलोकतांत्रिक क्रिया थी? क्या यह सदन की मर्यादा और गरिमा को तार–तार करना था? क्या यह अध्यक्ष की हैसियत से अलोकतांत्रिक और स्थापित परम्पराओं के विरुद्ध था?

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर यह पूरा वातावरण बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधान सभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, सत्रहवीं विधान सभा के माननीय सदस्यों को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना। देश की आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधान सभा परिसर में आना और लोकसभा के सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधान सभा के सौ वर्षो के सफरनामा से संबंधित विधान सभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधान सभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरू पौधे का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों के मूल्यांकन की जिम्मेवारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूँ। इस सदन में संविधान का ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान, संविधान के ज्ञाता के व्यवहार को बिहार नहीं पूरे देश ने देखा है और इतिहास इसका समालोचक है, इसका भी निर्णय, लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला उसको कहने की जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधान सभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधान सभा का शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, सौ वर्ष के गवाह नहीं, भागीदार बन रहे हैं तो हमारा विधान सभा उत्कृष्ट विधान सभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बनें। आप सबों ने उसमें भागीदारी की। हमने लोभ और

भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया, अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति, घोषणा, कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं, न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी, जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हें जो इसी तरह की स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। हर अच्छे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का, यह सदन ही नहीं तमाम अच्छे लोग हर दल के अंदर, हर समाज के अंदर होते हैं क्योंकि बिहार की जो विरासत थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत हो, बौद्धिक विरासत हो, उत्कर्ष पर था, पूरा देश ही नहीं दुनिया इससे सबक लेती थी, वह विरासत ठहर गई, वह विरासत रुक गई, हम सबकी जिम्मेवारी है ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने की लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं, वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं। आज डिजिटल युग है। बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते और विकारों से मुक्त हुए बिना सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी–करनी में जबतक अंतर रहेगा, तबतक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते, माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। माननीय सदस्यगण, इस भवन के और विधान सभा के सौ साल पूरे हो चुके हैं। अबतक कितने लोग इस मंदिर के पुजारी बन कर आये और विदा हो गये। लोग आये–गये, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभायी, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, हम नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इतिहास ने उन्हें बड़े आदर से स्थान भी दिया है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा, यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम मैंने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हमने संपूर्ण सदन का चालक बन कर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया, कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को बरगलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग–द्वेष, लोभ–लालच, भय–मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिये गये अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आपसे हमारा निवेदन और आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बहुत कम अंतर रहते हुए सदन में एक सकारात्मक वातावरण बनाया, सहयोग किया, आनेवाले समय में हमारी शुभकामना भी रहेगी, जो भी इस आसन पर बैठेंगे, विपक्ष की आवाज जिस तरह से हमलोगों ने संरक्षित करने का काम किया और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का, सभी विधायकों का, विधायकों का मान–सम्मान बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर उनके कार्यालय का, उनके अपने फंड से भी व्यवस्था बनाने का, विधायिका को एक बार पुनः आग्रह करेंगे इस आसन से, अध्यक्ष के नाते कि विधायिका का सम्मान बढ़े।

—